



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27012021-224699
CG-DL-E-27012021-224699

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 327]
No. 327]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 25, 2021/माघ 5, 1942
NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 25, 2021/MAGHA 5, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2021

का.आ. 358(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. , जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में NH647 के कि.मी. 0 से कि.मी.53.708 (सिविल लाइन ,वर्धा) तक के भूखण्ड पर टोल प्लाजा के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "19.12.2020" " को "दैनिक लोकमत" और "दैनिक भास्कर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ

की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले में NH647 के कि.मी. 0 से कि.मी.53.708 (सिविल लाइन ,वर्धा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: वर्धा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: आर्वी				
	गांव का नाम: नान्ही				
1	62-63	निजी	एग्रीकल्चर	0.01	विठोबा नत्थूजी अवथळे (६२-६३)
	तालुक का नाम: वर्धा				
	गांव का नाम: आंजी				
1	221	निजी	एग्रीकल्चर	0.0098	इंद्रजीत किसनलाल बत्रा (२२१)
2	222	निजी	एग्रीकल्चर	0.0237	शांताबाई नत्थूजी येडांगे, गजानन नत्थूजी येडांगे, जनार्दन नत्थूजी येडांगे, विनोद नत्थूजी येडांगे, विलास नत्थूजी येडांगे, विकास नत्थूजी येडांगे (२२२)
			कुल	0.0435	

[फा. सं. NHIDCL/PMU-Kishtwar/DPR/khellani-bypass/pariyot/LA/2020-21/3D]

राजेश गुप्ता निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2021

S.O. 358(E) —Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, , published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for construction of Toll Plaza Maintenance, management and operation of NH647 on the stretch of land from Km 0 to Km 53.708 (Civil Line , Wardha) in the district of WARDHA in the state of MAHARASHTRA ;

And whereas the substance of the said notification has been published in “*Dainik Lokmat*” and “*Dainik Bhaskar*” both dated 19.12.2020; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH647 in the stretch of land from NH647 (Civil Line , Wardha) in the district of WARDHA in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA District: WARDHA					
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Arvi				
	Village: Nanhi				
1	62-63	Private	Agriculture	0.01	vithoba natthuji awathale 62-63
	Taluk: Wardha				
	Village: Anji				
1	221	Private	Agriculture	0.0098	indrajeet kisanlal batra 221
2	222	Private	Agriculture	0.0237	shantabai natthuji yedange, gajanan natthuji yedange, janardhan natthuji yedange, vinod natthuji yedange, vilas natthuji yedange, vikas natthuji yedange 222
			TOTAL	0.0435	

[F. No. NHIDCL/PMU-Kishtwar/DPR/khellani-bypass/pariyot/LA/2020-21/3D]

RAJESH GUPTA, Director